जिला प्रशासन नारायणपुर,

कार्यालय, अवसर कोचिंग सेंटर, नारायणपुर (छ.ग.)

(परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र)

क्रमांक/ 20 /अ.को.सें/प.प्र.के. नारायणपुर, दिनांक 13/02/2018

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

जिला नारायणपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं (पी.ई.टी./नीट/पी.ए.टी./पी.पी.एच.टी./बी.एस. सी.नर्सिंग/पी.पी.टी.) के लिए 200 विद्यार्थियों को क्रेश कोर्स के लिए विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं से **"रूचि की अभिव्यक्ति"** आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक संस्थायें अपनी रूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 05/03/2018 कार्यालयीन समय 3:00 बजे तक जमा कर सकते है। विस्तृत विवरण जिले की वेबसाईड www.narayanpur.gov.in/ एवं कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है।

—शर्तें—

1. यह क्रेश कोर्स अधिकतम 35 दिनों के लिए संचालित होगा।
2. यह खुली निविदा अखबार/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जारी हो रहा है।
3. संस्था को कार्यों के संबंध में प्रस्तुतिकरण देना होगा। प्रस्तुतिकरण में तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए जाने पर ही कार्यादेश देने पर विचार किया जाएगा।
4. संस्था द्वारा आवेदन पत्र सभी संबंद्ध प्रमाण पत्रों एवं जानकारियों के साथ – साथ पूर्व में किये गये कार्यों के अनुभवन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियों के सुसज्जित दस्तावेज एवं प्रतियों की प्रमाणिकता सहित प्रस्तुत करना होगा।
5. लिफाफा "अ" में संस्थाओं के अंतिम 02 वर्षों के आयकर रिटर्न और वाणिज्यिक कर विभाग का GST Return एवं समाशोधन प्रमाण पत्र और अमानत राशि रू. 25000.00 (रू. पच्चीस हजार मात्र) कोचिंग सेंटर, नारायणपुर के पक्ष में देय हो, का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. लिफाफा "ब" में दर सूची प्रति छात्र की दर से प्रस्तुत करना होगा। एवं लिफाफा "अ" एवं "ब" दोनों को लिफाफा "स" में सलंग्न कर पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा प्राप्त होने पर ही मान्य होगा। एवं लिफाफा "स" के ऊपर **रूचि की अभिव्यक्ति** प्रेषित किये जाने वाले संस्था का पूर्ण पता का भी स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है।
7. लिफाफा "अ" पहले खोला जाएगा, जिसमें शर्तों का पूर्ण करने एवं वैद्य पाये जाने पर ही लिफाफा "ब" खोला जावेगा। लिफाफा "अ" में संबंधित जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर संस्थाओं की भागीदारी निरस्त मानी जावेगी।
8. रूचि की अभिव्यक्ति स्वीकृत होंने पर Mou के बाद कक्षायें 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होगी। कक्षाओं का समय सारिणी पृथक से जारी किया जायेगा।
9. सभी प्रकार के टैक्स आदि का भुगतान संस्था के द्वारा किया जावेगा। संस्था को आयकर एवं वाणिज्यकर का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
10. अध्यापन कार्य विषय विशेषज्ञ के द्वारा ऑडिओं–विडीओं से कराया जाना अनिवार्य है। इकाई मूल्यांकन, साप्ताहिक मूल्याकंन एवं मेगा टेस्ट लेना अनिवार्य है।
11. संस्था को (साफ्ट) नोट्स उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
12. राशि का भुगतान तीन किश्तों में क्रमशः 25 प्रतिशत , 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।

13. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर नारायणपुर का निर्णय अंतिम होगा।

नोडल अधिकारी
अवसर कोचिंग सेंटर
जिला नारायणपुर (छ.ग.)